

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(14)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/22

Dated: 14/7/20

Notification No. 01/2020- State Tax

No. F.3 (14)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ — In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Delhi Act 06 of 2019), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of January, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 to 21, except section 2, section 7, section 10 and sections 13 to 20 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Delhi Act 06 of 2019) shall come into force.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(14)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/22

Dated 14/7/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary-IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 3(14)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डी.एस. IV/२२

दिनांक: 14/7/20

अधिसूचना संख्या 01/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(14)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/ - उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का दिल्ली अधिनियम 06) की धारा 2, धारा 7, धारा 10 और धारा 13 से 20 के सिवाय धारा 2 से 21 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(सुनील सहगल)
उप सचिव-IV (वित्त)

सं.फा. 3(14)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डी.एस. IV/२२

दिनांक: 14/7/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साइट।



(सुनील सहगल)
उप सचिव-IV (वित्त)